न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर; जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री लाखाराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 90/2020

वादीगण बनाम	प्रतिवादी
1. हीरा सिंह पुत्र दारा सिंह उर्फ दीदार सिंह जटसिख निवासी चक 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

दिनांक रजू:-04.11.2020

उपस्थितः 1.श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह अधिवक्ता वादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 भू.राजस्व अधिनियम 1956

--निर्णय-- दिनांक : २३/०२/२०२१

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 123/123 के मुरब्बा नम्बर 28 की 1.859 हैक्टर खाता संख्या 122/122 के मुरब्बा नम्बर 32 की 1.898 हैक्टर, मुरब्बा नम्बर 41 की 0.759 हैक्टर नहरी, खाता संख्या 108/109 के मुरब्बा नम्बर 40 की 2.100, मुरब्बा नम्बर 41 की 1.771 हैक्टर नहरी इस प्रकार कुल 3.871 हैक्टर नहरी भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त भूमि जरिए बंटवारानामा वादी के नाम दर्ज हुआ है। वादी के पिता का वास्तविक नाम दारा सिंह उर्फ दीदार सिंह है। वादी के राशन कार्ड संख्या, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दारा सिंह पुत्र बघेल सिंह दर्ज है। वादी के नाम इसी चक में हीरा सिंह पुत्र दीदार सिंह के नाम से कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अन्य तमाम दस्तावेज में दारा सिंह दर्ज होने के कारण वादी को हर समय भारी परेशानी का सामना करना पडता है। संबधित विभाग में अपने पिता के दो नाम होने के संबध में एंव अपनी पहचान बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करना पडता है। इस कारण वादी उक्त जंमाबन्दी में अपने पिता का नाम दारा सिंह उर्फ दीदार सिंह घोषित करवाना चाहता है। वादी ने इस सम्बन्ध में राजस्व कैम्प 14 एफ एफ में लिखित वादपत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी में अपने पिता का नाम संशोधित करवाना चाहा तो तहसीलदार साहब द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पत्र प्रस्तुत करने की हिदायत दी। जिस पर उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्णित भूमि कृषि भूमि चक 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर में स्थित होने के कारण उक्त वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है। वादपत्र पूर्ण न्यायालय शुल्क पर समयावधि के भीतर प्रस्तुत है। वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 123/123, 122/122, 105/109 में कुल 3.871 हैक्टर नहरी भूमि रकबा में के सम्बन्ध में जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम दीदार सिंह के स्थान पर दारा सिंह उर्फ दीदार सिंह जाति जटसिख निवासी 18 एफ एफ तहसील श्रीकरणपुर घोषित किये जाने के आदेश दिये जावे।

Signature Not Ve
Digitally signed by L
Date: 2021.03.02 11
Reason: SelfAtteste

वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को सम्मन तलब किया गया। पैराकार राज के द्वारा जवाब स्टेट पेश किया किया गया। सामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर से पंत्राक 13040 दिनांक 22.01.2021 से रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसके अनुसार चक 18 एफ एफ की जमावन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 105 में हीरा सिंह पुत्र दारा सिंह 0.404 हैक्टर तथा खाता संख्या 122 व 123 में हीरा सिंह पुत्र दीदार

23/02/21

सिंह जाति जटसिख के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। पटवारी हल्का द्वारा मौके पर पूछताछ की गई। मुताबिक पूछताछ दारा सिंह व दीदार सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये। वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया। सामिल पत्रावली किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र, शपथ पत्र वादी, सरपंच ग्राम पंचायत 14 एफ एफ प्रमाण पत्र, जवाब स्टेट पैराकार राज एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर रिपोर्ट का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी द्वारा चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 123/123, 122/122, 105/109 में कुल 3.871 हैक्टर नहरी भूमि में अपने पिता का नाम दीदार सिंह के स्थान पर दीदार सिंह उर्फ दारा सिंह करवाने बाबत निवेदन किया है। रिपोर्ट तहसीलदार श्री करणपुर के अनुसार पटवारी हल्का के द्वारा इस सम्बन्ध में फर्द मौका तैयार किया गया। मुताबिक फर्द मौका दारा सिंह व दीदार सिंह दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम बताये गये। प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पचायत 14 एफ एफ के अनुसार दारा व दीदार सिंह एक ही व्यक्ति के दो नाम है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात यथा राशन कार्ड संख्या, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दारा सिंह पुत्र बघेल सिंह अंकित है। उक्त रकबा की जमाबन्दी में वादी के पिता का नाम दीदार सिंह दर्ज है। अतः वादी के पिता का नाम दीदार सिंह के स्थान पर दीदार सिंह उर्फ दारा सिंह किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 123/123, 122/122, 105/109 में कुल 3.871 हैक्टर नहरी भूमि में हीरा सिंह पुत्र दीदार सिंह के स्थान पर हीरा सिंह पुत्र दीदार सिंह उर्फ दारा सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखित दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lakha R
Date: 2021.03.02 11:45:32
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले में सुनाया गया।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री लाखाराम आर.ए.एस.

हीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत **88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट** मुकदमा नं. **90/2020**

निर्णय दिनांक :- 23.02.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह, बलवीर सिंह** पेश होकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 18 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 123/123, 122/122, 105/109 में कुल 3.871 हैक्टर नहरी भूमि में हीरा सिंह पुत्र दीदार सिंह के स्थान पर हीरा सिंह पुत्र दीदार सिंह उर्फ दारा सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है।

आज दिनांक 23.02.2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lakha Ram
Date: 2021.03.02 11:45:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्री गंगानगर) सत्यमेव जयते

क्रमांक: राजस्व/ 2021/९५

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

23/02/21

{लाखाराम आर.ए.एस.}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर